# कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
## स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक ............../स्वशासी/स्था/अराज/एमसी/2021 रीवा, दिनांक ....................

## आदेश

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्र. 8019/स्वशासी/स्था/एमसी/2021 रीवा, दिनांक 20.04.2021 द्वारा एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित लिखित परीक्षा दिनांक 11.06.2021 के अनुक्रम में प्राप्त प्रवीण्यता सूची के आधार पर दिनांक 04.08.2021 को जारी तृतीय प्रावधिक चयन सूची में से अभ्यार्थियों के मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत पात्र पाये गये उम्मीदवारों को प्रावीण्यता के क्रम में चयनित करते हुए स्टाफ नर्स के पद पर वेतनमान **रूपये 5200–20200+2800 के तत्स्थानी पुनरीक्षित सातवें वेतन के लेवल–7** में न्यूनतम वेतन रूपये–28700/– प्रति माह तथा शासन द्वारा समय–समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई नियुक्ति प्रदान कर श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध गांधी स्मारक चिकिसालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में पदस्थ किया जाता है :–

| स.क्र. | उम्मीदवार का नाम एवं पिता का नाम | पता | चयनित श्रेणी_संवर्ग |
|---|---|---|---|
| 1. | आशीष कुमार मानकर पिता श्री गुनवत | 125/3 कुशवाहा नगर, इंदौर(म.प्र.) – 452015 | अ.पि.व._बिना वर्ग_ओपन |
| 2. | सत्येन्द्र पिता श्री कोमल प्रसाद | ग्राम इमिलिया कटनी (म.प्र.) – 483331 | अ.पि.व._बिना वर्ग_ओपन |
| 3. | अर्जुन पिता श्री मंगीलाल | ग्राम – बोरखेड़ा भल्ला, उज्जैन (म.प्र.) – 456006 | अ.पि.व._बिना वर्ग_ओपन |
| 4. | मधुवन साहू पिता श्री दुर्गाप्रसाद साहू | वार्ड नं. 18 सकोला शिव संदिर के पास पकरिया अनूपपुर (म.प्र.) –484334 | अ.पि.व._बिना वर्ग_ओपन |
| 5. | सुरभि कनौजिया पिता श्री अरविन्द कनौजिया | 94 मैत्री नगर महाराजपुर आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) – 482004 | अ.पि.व._बिना वर्ग_ओपन |
| 6. | पूजा पटेल पिता श्री कमलेश पटेल | छतुरिहा टोला पोस्ट ताला, सतना (म.प्र.) – 485778 | अ.पि.व._बिना वर्ग_महिला |
| 7. | अरूण अहिरवार पिता श्री जीवन सिंह अहिरवार | ग्राम + पोस्ट – संकल खेड़ा कलां, जिला – विदिशा (म.प्र.) – 464001 | अ.जा._बिना वर्ग_ओपन |
| 8. | रवि माहोर पिता श्री सुरेश माहोर | 44, नई बस्ती चुंगी चौकी ग्वारीघाट, जबलपुर (म.प्र.) – 482008 | अ.जा._बिना वर्ग_ओपन |
| 9. | निशा देवी सुर्यवंधी पिता भागीरथी | W/o जितेन्द्र कुमार वर्मा, वार्ड नं. 3 बाघा, सतना (म.प्र.) – 485001 | अ.जा._बिना वर्ग_ओपन |
| 10. | शशांक बेन्दवाल पिता श्री ओमप्रकाश बेन्दवाल | 141/3 नेहरू नगर, वार्ड नं. 26 जीन माता मंदिर पार्ट न्यू तहसील विजय नगर, इंदौर (म.प्र.) – 452011 | अ.जा._बिना वर्ग_ओपन |

क्रमशः पेज–02

| स.क्र. | उम्मीदवार का नाम एवं पिता का नाम | पता | चयनित श्रेणी_संवर्ग |
|---|---|---|---|
| 11. | बरखा वर्मा पिता श्री अशोक वर्मा | फूलमती मंदिर के सामने, न्यू बस स्टैण्ड के पास समान, रीवा (म.प्र.) – 486001 | अ.जा._बिना वर्ग_महिला |
| 12. | उषा रावत पिता श्री जमुना प्रसाद रावत | वार्ड नं. 09 ग्राम पटेहरा रामपुर नैकिन, सीधी (म.प्र.) – 486775 | अ.ज.जा._बिना वर्ग_ओपन |
| 13. | रून्नी मरावी पिता श्री चेतराम मरावी | हाउस नं. 1 ग्राम मुंगवानी मोहगांव, जिला – मंडला (म.प्र.) – 481663 | अ.ज.जा._बिना वर्ग_ओपन |
| 14. | सविता डमोर पिता श्री कंटू डमोर | 261 ग्राम कंकवानी, थंडाला, जिला – झाबुआ (म.प्र.) – 457777 | अ.ज.जा._बिना वर्ग_ओपन |
| 15. | धनकुंवर पिता तूफान | 89 ग्राम सोनडुल टोंकी, धार (म.प्र.) – 454446 | अ.ज.जा._बिना वर्ग_ओपन |
| 16. | दिनेश मुवेल पिता श्री तेर सिंह मुवेल | हाउस नं. 267, रोहित नगर फेज 1 बावड़िया कला, भोपाल (म.प्र.) – 462039 | अ.ज.जा._बिना वर्ग_ओपन |
| 17. | दीक्षा पिता श्री शरध | वार्ड नं. 5, छिंदवाड़ा (म.प्र.) – 480559 | अ.ज.जा._बिना वर्ग_महिला |
| 18. | अर्पणा पाटिल पिता श्री दीना प्रसाद पाटिल | चिरायु मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, 11 एकार्ड गर्ल्स हॉस्टल भोपाल (म.प्र.) – 462030 | अ.जा._दिव्यांग |

**नियुक्ति की शर्तें:–**

1. आदेश जारी होने के दिनांक से **15 दिवस** के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना (कार्यभार ग्रहण) अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक–एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3–13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान **रूपये 5200–20200+2800 के तत्स्थानी पुनरीक्षित सातवें वेतन के लेवल–7** में न्यूनतम वेतन रूपये–28700/– प्रति माह एवं शासन द्वारा समय–समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

**क्रमशः पेज–03**

7. सेवायें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोडने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. नियुक्त व्यक्ति "म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965" एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन शासित होंगे।
9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
10. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण–पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
11. नियुक्त व्यक्ति को 50/–रूपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
12. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
13. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत व्यक्ति को उपस्थिति के समय–पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. स्टाफ नर्स की ड्यूटी अवधि तीन पालियों मे होगी। प्रथम पाली प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक, द्वितीय पाली दोपहर 01:00 बजे से शायं काल 07:00 बजे तक तथा तृतीय पाली शायं 07:00 बजे से अगले दिन प्रातः 07:00 बजे तक होगी। प्रमुख पारिचारिका द्वारा रोस्टर अनुसार जिस पाली में ड्यूटी लगाई जावेगी उस पाली मे ड्यूटी करना तथा स्टाफ नर्स के लिए लागू ड्यूटी नियमावली का पालन करना अनिवार्य होगा। लगाई गई ड्यूटी न करने की शिकायत प्राप्त होने पर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
15. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।

**क्रमशः पेज–04**

16. यह नियुक्ति अन्य पिछडा वर्ग आरक्षण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होगी, जोकि सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

**<u>नोटः–</u> प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।**

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

पृ.क्र. 17208-15 स्वशासी / स्था / अराज / एमसी / 2021, रीवा, दिनांक 11-08-21

**प्रतिलिपि :–**

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष कार्याकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा।
6. कार्यालय लेखाशाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की ओर लेख है कि, संबंधित का वेतन भुगतान मांग संख्या 52 – 2210 – 01 – 110 – 1353 – 0101 – 42 –002 (सहायक अनुदान मद) में विकलनीय होगा।
7. संबधित की ओर भेजकर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रू. 4/– का ट्रेजरी चालान हेड़–0210–01–800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)